E-ISSN: 3048-6041 | Volume-1, Issue-10 | October 2024

ग्रामीण विकास में कृषि ऋण सहकारी एवं गैर-ऋण सहकारी समितियों के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

दुष्यन्त कुमार [1], कु. रंजना [2]

[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, एन. आर. ई. सी. कॉलेज खुर्जा, बुलंदशहर

[2] शोधार्थिनी, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

सारांश :-

ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों का अस्तित्व वास्तव में एक संस्थागत प्रणाली के रूप में हुआ ताकि किसानों को किफायती लागत पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके और ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं गरीबी इन दो मुद्दों का समाधान किया जा सके। अपने आउटरीच एवं कारोबार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की बदौलत ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों का ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान है। अल्प एवं दीर्घ-कालिक ऋणों के जरिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रदता को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने, रोजगार अवसर का निर्माण करने एवं गरीब और कमजोर लोगों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ऋण वितरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते आ रहे हैं। कई समितियों ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहकारी ऋण समितियों की प्रासंगिकता और महत्व पर जोर दिया है, जो कि ग्रामीण विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

मुख्य शब्द :- सहकारी समितियों, ग्रामीण, वित्तीय, ऋण, संस्थागत।

प्रस्तावना :-

भारत में सहकारी समितियों की आवश्यकता जिसका उद्देश्य विशाल ग्रामीण समुदाय की दशा सुदृढ़ करना था, सरकार द्वारा 100 से अधिक वर्ष पहले स्वीकार की गई थी। पश्चिम में उनकी सफलता के अनुभव के आधार पर उन गरीब किसानों की दुर्दशा का उत्तर देने की उन्होंने संकल्पना की जो मुख्यतया ऋण सुविधाओं के अभाव के कारण अत्यधिक पीड़ित थे (यद्यपि कृषि से संबंधित अन्य सेवाओं, जैसे आदानों की आपूर्ति, भंडारण / परिवहन आदि में भी सुविधाओं का अभाव था)। उद्देश्य उन स्थानीय जमींदारों और व्यापारियों पर गरीब किसानों की निर्भरता कम करना था जो बहुत ऊँची दरों पर ब्याज लेकर, प्रायः भूमि बंधक और उत्पाद विक्रय से उनका शोषण कर रहे थे। परंतु सहकारी आंदोलन, जैसा भारत में विकसित हुआ, उन प्रणालियों के अनुसार विकसित नहीं हुआ, जिनसे अन्य देशों में प्रगति और सफलता मिलती थी। सरकार द्वारा (सहकारी समितियों के कार्यकरण के लिए पूँजी देने से और

उसके प्रबंधन में भी) संरक्षण दिया गया। दशाब्दियों तक संख्या के आधार पर सहकारी आंदोलन बढ़ा, परंतु वे उन सिद्धांतों पर आधारित नहीं थे जो उनकी सफलता और सुस्थिर कार्य संचालन के लिए अपेक्षित थे। जो महत्त्वपूर्ण तत्व विद्यमान नहीं था, वह था अपने ही संसाधन आधार उत्पन्न करने के लिए क्षमता निर्माण के प्रयास। भारतीय सहकारी समितियों के विकास की खराब स्थिति महसूस करते हुए भारत सरकार ने समय-समय पर कई समितियां गठित कीं जिनसे पुनःसशक्तीकरण के लिए आवश्यक उपयुक्त उपाय सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन के अनुभव से प्राप्त प्रत्येक उपाय के अनुसार समय-समय पर कई कानून बनाए गए। उसके कार्यकरण के पिछले 100 से अधिक वर्षों के दौरान उन उपायों के बावजूद, आंदोलन वास्तविक महत्त्व प्राप्त नहीं कर सका जो इसके विकास में सोचा गया था। इस पृष्ठभूमि के विपरीत सहकारी समितियों के विकास पर प्रारंभ से ही दृष्टि डालते हुए इस इकाई का उद्देश्य भारत में सहकारी आंदोलन की भिन्न-भिन्न विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस इकाई में, सहकारी समितियों के कार्य-निष्पादन का आकलन किया गया है। साथ ही, ग्रामीण स्तर के किसानों की ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उत्तरदायी इकाई- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। इन तत्वों को ध्यान में रखकर इकाई में उनके अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण निर्धारकों की पहचान की गई है। अंत में, सहकारी समितियों की स्थापना के लिए किए गए विधायी प्रयासों की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं की समीक्षा करते हुए इकाई में भारत में कृषि सहकारी समितियों का कार्यकरण पद्धति सशक्त बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों का विवरण दिया गया है।

भारत में सहकारी समितियों का विकास :-

भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ मुख्यतया किसानों को महाजनों के शोषण से बचाने के परिप्रेक्ष्य में हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम कुछ वर्षों में भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सन् 1882 में विलियम वेडरबर्न और न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे ने कृषकों को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। उनका सुझाव भारत सरकार ने 1883 में भूमि सुधार कानून तथा लगभग 1884 में कृषक ऋण कानून पास किये जिनके अन्तर्गत किसानों को नीची ब्याज दर उत्पाद कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। किसानों की साख की मांग इन कानूनों से पूरी न हो सकी और न ही किसानों में स्वावलम्बन तथा बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

सन् 1892 में मद्रास सरकार द्वारा कृषि व भूमि विकास बैंक स्थापित करने की आवश्यकता पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए सर फ्रेडरिक निकल्सन को नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने विस्तृत वृत्तांत में जर्मनी के रफाइसन समितियों के आधार पर कृषि साख समितियों के गठन का सुझाव दिया। अकाल आयोग, 1901 ने भी अकालों पर प्रतिबन्धनात्मक इलाज के रूप में किसानो को साख उपलब्ध कराने के लिए "पारस्परिक साख संगठन" स्थापित करने का सुझाव दिया।

इस समिति पर राय व्यक्त करने के लिए सरकार द्वारा 'एडवर्ड लौ' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1901 में सहकारी समितियों की स्थापना का सुझाव दिया एवं इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया गया जो 25 मार्च 1904 को "सहकारी साख समिति कानून" के रूप में पारित किया गया।' इस तरह आधुनिक सहकारिता का जन्म भारत में सन् 1904 में हुआ। 1904 में पारित अधिनियम के आधार पर केवल साख समितियां ही बनाई जा सकीं थीं।

भारत में नियोजन काल 1951-52 से आरम्भ किया गया है तभी से सरकार का ध्यान सहकारिता की ओर विशेष रूप से गया है। इस काल में अखिल भारतीय सर्वे समिति का गठन हुआ है इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या बढ़कर 2.4 लाख, सदस्य 176 लाख, अंशपूँजी 77 करोड़ रूपये व कार्यशील पूँजी 469 करोड़ रूपये हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है।

भारत में सहकारिता की अच्छी प्रगति हुई है वर्तमान समय में साढ़े पाँच लाख से अधिक सहकारिता समितियां कार्यरत हैं जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 23 करोड़ व कार्यशील पूँजी है। जो इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता समिति की जड़ें जम गई हैं और उनसे अच्छे फल निकलने की अच्छी सम्भावनाएं हैं।

कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत :-

उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की प्रगति

	वर्गीकरण	2020-21	2021-22	2022-23
	1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि.	1	1	1
	(क) शाखाओं की संख्या	27	27	40
	(ख) सदस्यता	61	61	61
2	उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक लि.	1	1	1
	(क) शाखाओं की संख्या	323	323	323
	(ख) सदस्यता(हजार)	1457	1482	1421
3	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	50	50	50
	(क) शाखाओं की संख्या	1315	1266	1258
	(ख) सदस्यता(हजार)	20	20	20
4	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार	60	61	61
5	क्रय विक्रय समितियां	258	258	258
6	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1055	1080	1080
7	जिला सहकारी संघ	58	58	58

स्रोत :- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश।

विभिन्न अध्ययनों ने यह पाया है कि कृषि में पूंजी निर्माण और संस्थागत साख में उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने और कृषि कार्यों में विविधता लाने के कारण किसानों की साख आवश्यकता में तीव्रता से वृद्धि हुई है। निकट समय में कृषि साख में भी तीव्र वृद्धि हुई है। जो कि वर्ष 2022-23 में सकल वार्षिक वृद्धि दर के रूप में यह लगभग 13 प्रतिशत रही। भारत में वर्तमान में कृषि साख के संस्थागत स्रोत के रूप में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं।

सहकारी समितियां :-

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों का निम्नवत् वर्गीकरण किया है:-

सहकारी ऋण समितियां इन समितियों को पुनः दो भागों में बाँटा गया है-

1. कृषि ऋण सहकारी समितियां
2. गैर-कृषि ऋण समितियां

सहकारी गैर-ऋण समितियां इन समितियों को भी निम्न प्रकार दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

1. कृषि गैर ऋण सहकारी समितियां
2. गैर-कृषि गैर-ऋण सहकारी समितियां

इस तरह सहकारी समितियां चार प्रकार की होती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

कृषि ऋण सहकारी समितियां-

ये सहकारी समितियां कृषकों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यवसाय हेतु आवश्यक ऋण उपलब्ध कराती हैं। सहकारी समितियां अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। जबकि दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराते हैं। इनका ढाँचा साधारणतया तीन स्तरीय होता है। गाँव स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक (Apex Bank) होते हैं। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋण के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जिला भूमि विकास बैंक एवं राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं। कुछ राज्यों में भूमि विकास बैंकों का ढाँचा दो स्तरीय होता है।

गैर-कृषि गैर-ऋण सहकारी समितियां-

कृषकों को ऋण के अतिरिक्त आवश्यक साधनों-बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयां, कृषि आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई सहकारी उन्नत कृषि समितियां, कृषकों को फॉर्म से प्राप्त उत्पादों के विपणन के लिए बनाई सहकारी कृषि विपणन समितियां, कृषि उत्पादों के परिष्करण के लिए बनाई गई कृषि उत्पादन परिष्करण सहकारी समितियां, पशु सहकारी समितियां, दुग्ध आपूर्ति समितियां, मछली पालन सहकारी समितियां इसी श्रेणी में आती हैं।

गैर-कृषि ऋण सहकारी समितियां-

ये समितियां कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराती हैं, जैसे- शहरी बैंक, बचत एवं ऋण समितियां, शहरी ऋण समितियां आदि।

गैर-कृषि ऋण सहकारी समितियां-

ये समितियां मुख्यतः उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराती हैं। उपभोक्ता भण्डार, भवन-निर्माण समितियां, हथकरघा, बुनकर समितियां आदि इसी श्रेणी में रखी जाती हैं।

बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां-

ये समितियां अपने सदस्यों को केवल साख ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि उनके अन्य कार्यों में भी सहायता करती हैं, जैसे उपज की बिक्री करना, खाद, बीज, यंत्र आदि की व्यवस्था करना, उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कुटीर एवं ग्राम धन्धों आदि की व्यवस्था और विकास करना। इस तरह ये समितियां ग्रामीण जीवन के समस्त पहलुओं से सम्बन्ध रखती हैं। आजकल सरकार बहुधन्धी सहकारी समितियों की स्थापना पर विशेष जोर दे रही हैं। बहुउद्देशीय समितियां ग्रामीणों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुई है।

उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां एवं शीर्ष समितियों की प्रगति

मद	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4
1. प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां			
1.1 संख्या	7479	7479	7479
1.2 सदस्यता (हजार)	13369	13533	13603
1.3 अंशपूंजी (करोड़ रू0)	868	913	962
1.4 अल्पकालीन वितरित ऋण (करोड़ रू0)	7086	7557	8631
(क) नगद	5967	6519	7552
(ख)वस्तु के रूप में	1118	1038	1079
2 शीर्ष सहकारी समितियां	9	9	9
2.1 ऋण समितियां			
(क) समितियों की संख्या	2	2	2
(ख) सदस्यता(हजार)	1457	1482	1421
2.2 गैरऋण समितियां			
(क) संख्या	7	7	7
(ख) सदस्यता (हजार)	5	5	5

स्रोत :-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश।

आत्मनिर्भर सहकारी समितियां-

सहकारिता से तात्पर्य परस्पर सहयोग से मिलजुल कर कार्य करना है जिसका आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध है। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक निर्माण के क्षेत्र में सामाजिक हित, न्यायपूर्ण विचार एवं सामाजिक बन्धुत्व को ध्यान में रखा जाता है। कृषि प्रधान देशों की आर्थिक प्रगति में सहकारिता के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, जो कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। सहकारिता केवल उत्पादन, उपभोग, विनिमय व वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन एवं रोजगार के विकास में सहायक हैं अर्थात सहकारिता ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। आर्थिक विकास के बहुत से साधन सहकारिता के माध्यम से सम्भव हो सकते हैं।

जहां तक आत्मनिर्भर सहकारी समितियों का सम्बन्ध है व्यक्तियों का एक समूह होता है जो स्वयं आपसी सहयोग एवं निःस्वार्थ भावना से बनाया जाता है, सदस्यों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण भी किया जाता है। समूह अपनी उन्नति के लिए अपनी शक्तियों एवं साधनों का उपयोग करते हुए प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करते हैं। आत्मनिर्भर सहकारी समितियों की पूँजी स्वयं के एकत्रित कोष से इकट्ठा की जाती है। यह समितियां अन्य किसी संस्था पर निर्भर नहीं रहती हैं। इनके ऋण वितरण एवं वसूली की नीतियां आदि भी स्वयं के द्वारा निर्मित एवं संचालित होती हैं। यह स्वच्छन्द प्रक्रिया के रूप में कार्य करती हैं। सदस्यों के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु कभी-कभी ये समितियां बैंक आदि से भी ऋण प्राप्त करती हैं।

सहकारी समितियों की तरह ही आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के द्वारा निर्धन ग्रामीण को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने तथा ग्रामीण को चहुंमुखी विकास प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के द्वारा ग्रामीण अंचल के निर्धनों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्नत खेती, उन्नत व्यापार, उन्नत जीवन बनाना है। आत्मनिर्भर सहकारी समितियां गाँवों का सर्वांगीण विकास, न्यूनतम अभावों का अन्त, आर्थिक विकास, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि तथा गाँवों के अन्तिम व्यक्ति के विकास से जुड़ी समस्याओं का निदान करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं।

- **भारत में वित्तीय सहकारी समितियों के साथ संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ :-**

भारत में वित्तीय सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, ये समितियाँ विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं जो उनके प्रभाव और प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में भारत में वित्तीय सहकारी समितियों से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

1. पूंजी की कमी

वित्तीय सहकारी समितियों की एक प्रमुख समस्या पूंजी की कमी है। भारत में सहकारी समितियों के पास निजी बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों की तरह बड़ी पूंजी उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(NCDC) के अनुसार, 2021 में केवल 38% सहकारी समितियों के पास पर्याप्त पूंजी थी जिससे वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इससे उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजी की इस कमी का परिणाम यह होता है कि सहकारी समितियाँ अक्सर उच्च जोखिम वाले ऋण प्रदान करती हैं और उनकी परिसंपत्तियाँ नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) में बदलने की संभावना होती है।

2. दक्ष प्रबंधन की कमी

भारतीय वित्तीय सहकारी समितियों में दक्ष प्रबंधन का अभाव एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। कई सहकारी समितियाँ पेशेवर प्रबंधन कौशल और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण उनके संचालन में बाधाएँ आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 2022 में सहकारी समितियों में केवल 20% ऐसे पेशेवर प्रबंधक कार्यरत थे जिनके पास वित्तीय प्रबंधन का आवश्यक ज्ञान था। इसका परिणाम यह होता है कि ये समितियाँ वित्तीय अनियमितताओं और कुशल संसाधन प्रबंधन के अभाव का सामना करती हैं।

3. अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप

वित्तीय सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक गंभीर समस्या है। सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप उनके स्वतंत्र संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों का प्रभाव, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, समितियों के संसाधनों और फैसलों पर पड़ता है। इससे समितियाँ कई बार अपनी प्राथमिकताओं से भटक जाती हैं और उनका प्रबंधन पक्षपाती हो जाता है, जिससे उनके दीर्घकालिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

4. आधुनिक तकनीक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी

भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के बावजूद, कई सहकारी समितियाँ अभी भी आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में पिछड़ी हुई हैं। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ तकनीकी सुविधाओं का अभाव है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 30% सहकारी समितियाँ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण ये समितियाँ वित्तीय सेवाएँ कुशलता से प्रदान करने में असमर्थ रहती हैं और आधुनिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पातीं।

5. नियमों का कठोर अनुपालन

भारतीय वित्तीय सहकारी समितियों को कई प्रकार की कड़ी नियामक आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। ये नियम अक्सर सहकारी समितियों के स्वतंत्र संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनके कामकाज को प्रभावित करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा हाल ही में कड़े दिशानिर्देश लागू किए गए हैं जिनका

अनुपालन करना कई सहकारी समितियों के लिए कठिन हो गया है।⁵ इन नियमों के कारण समितियाँ अपने संचालन में लचीलापन नहीं रख पातीं और उनका विकास प्रभावित होता है।

6. प्रतिस्पर्धा का दबाव

निजी और वाणिज्यिक बैंकों के बढ़ते प्रभाव के कारण सहकारी समितियों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव भी बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल नवाचार और निजी बैंकों द्वारा विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के चलते सहकारी समितियाँ पिछड़ रही हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, सहकारी समितियाँ निजी बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण उनका ग्राहकों का आधार सीमित हो गया है।

भारतीय वित्तीय सहकारी समितियाँ आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पूंजी की कमी, दक्ष प्रबंधन का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, डिजिटल तकनीक की कमी, कठोर नियामक अनुपालन, और प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दबाव ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें हल करना आवश्यक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी समितियों को संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें पूंजी को बढ़ावा देना, तकनीकी उन्नति, और बेहतर नियामक नीतियाँ शामिल हैं।

निष्कर्ष :-

भारत में सहकारी समितियों का इतिहास एक शताब्दी से अधिक पुराना है। कृषि विकास में सहकारी समितियों ने हरित क्रांति अवधि में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। परंतु कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे डेयरी सेक्टर, में उनकी सफलता के बावजूद सहकारी समितियां अपने बहुत से प्रारंभिक स्वीकृत सिद्धांतों को सामान्यतः खो चुकी हैं: उन्हें स्वायत्त, स्वैच्छिक, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक व्यापारिक उद्यमों के रूप में कार्य करना चाहिए जो अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। वे कारक जिन्हें सहकारी समितियों के कार्य- निष्पादन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने वाला माना गया है, उनमें विशाल सदस्यता आकार, सरकारी सहभागिता और नियंत्रण प्रमुख हैं। सहकारी समितियों के पुनर्वलन के लिए उनके लोकतांत्रिक और स्वायत्त मूल्यों को ध्यानगत रखते हुए वर्तमान में प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के विज़न को साकार करने की दिशा में सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies- PACS) की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये पाँच निर्णय लिये हैं-

उर्वरक खुदरा विक्रेताओं के रूप में कार्य नहीं कर रहे PACS की पहचान की जाएगी और उन्हें चरणबद्ध तरीके से व्यवहार्यता के आधार पर खुदरा विक्रेताओं के रूप में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में काम नहीं कर रहे PACS को PMKSK के दायरे में लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत वर्ष 2022 में 600 PMKSK का उद्घाटन किया गया। जो कि ककिसानों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे और कृषि-इनपुट, मृदा, बीज तथा उर्वरक के लिये परीक्षण सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे।

जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फर्मेंटेड जैविक खाद ,तरल फर्मेंटेड जैविक खाद, फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद के विपणन में PACS को जोड़ा जाएगा।

उर्वरक विभाग की मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) योजना के तहत उर्वरक कंपनियाँ छोटे बायो-ऑर्गेनिक उत्पादकों के लिये एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर अंतिम उत्पाद का विपणन करेंगी, इस आपूर्ति और विपणन श्रृंखला में थोक/ खुदरा विक्रेताओं के रूप में PACS को भी शामिल किया जाएगा।

उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिये PACS को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिये भी किया जा सकता है।

संक्षेप में भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु सहकारी सेक्टर सुदृढ़ और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता का सार रूप में, कानूनी, संस्थानिक और नीतिगत परिवर्तनों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए बहुआयामी सुधार हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. श्रीनू, ए.वी. (1997), ऐटिटूड ऑफ़ फार्मर्स टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म लोन्स फाइनेंसड बाई प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव सोसाइटीज (PACS) इन विज़ीनागरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ आंध्र प्रदेश (डॉक्टरल डिसेर्टेशन: एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन)।

2. कर्माकर, के. जी. (Ed.). (2008), माइक्रोफाइनेंस इन इंडिया, SAGE पब्लिकेशन्स इंडिया।

3. बिंसवांगर, एच. पी., एंड खंडेकर , एस.आर. (1995), दी इम्पैक्ट ऑफ़ फॉर्मल फाइनेंस ऑन दी रूरल इकॉनमी ऑफ़ इंडिया, दी जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज, 32(2), 234-262.

4. शाह, डी. (2000), प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन महाराष्ट्र: सम एमेर्जिंग इश्यूज प्रजान्य, 29(1), 31-51.

5. प्रकाश, डी. (2003), रूरल वीमेन, फ़ूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव्स, नई दिल्ली: रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सेंटर।

6. मीरा, एस.एन., झामतानी, ए., एंड राव, डी.ई एम. (2004), इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट: ए कंपरेटिव एनालिसिस ऑफ़ थ्री प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंडिया, नेटवर्क पेपर नं.135.

7. अधिगुरु, पी. बिरथाल, एप.एस., एंड कुमार, बी.जी.(2009), स्ट्रीथनिंग प्लरालिस्टिक एग्रीकल्चरल इनफार्मेशन डिलीवरी सिस्टमस इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यु, 22(1).

8. साथये, एम. (2003), इफ़िफ़इंसी ऑफ़ बैंक्स इन ए डेवलपिंग इकॉनमी : दी केस ऑफ़ इंडिया, यूरोपियान जर्नल ऑफ़ ऑपरेशनल रिसर्च, 148(3), 662-671.

9. सत्यसाई, ए.जे.एस.(2008), रूरल क्रेडिट डिलीवरी इन इंडिया : स्ट्रक्चरल कंस्ट्रह्व एंड सम करेक्टिव मैअसुरेस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यु, 21(2008).

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), "भारत में सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति," 2021।

10. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), "सहकारी समितियों में दक्षता बढ़ाने के उपाय," 2022।

11. सहकारिता मंत्रालय, "राजनीतिक हस्तक्षेप और सहकारी समितियाँ," 2021।

12. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD), "भारत में सहकारी समितियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोग," 2021।

13. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), "सहकारी समितियों के लिए नियामक दिशानिर्देश," 2023।

14. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), "सहकारी और निजी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा," 2022।

15. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/21978/1/Unit-17.pdf

16.https://www.rbi.org.in/hindi1/Upload/Publications/PDFs/RBICHJS271210.pdf